

पत्रांक 3617 / सा0शा0
पुलिस अधीक्षक का कार्यालय गिरिडीह।

प्रेषक:

पुलिस अधीक्षक
गिरिडीह।

सेवा में,

जन सूचना पदाधिकारी,
पुलिस मुख्यालय, झारखण्ड, राँची।

प्रसंग:-

भवदीय कार्यालय का ज्ञापक-426 / सूचनाधिकार, दिनांक-05.07.2017

दिनांक- 7-9-17

विषय:-

सूचनाधिकार अधिनियम-2005 के अंतर्गत प्राप्त श्री सुशील कमबमपती के आवेदन के संबंध में।


महाशय,

उपर्युक्त प्रसांगिक विषय के संदर्भ में सादर सूचित करना है कि सूचना अधिकार अधिनियम-2005 के तहत माँगी गई सूचना का उत्तर सामग्री गिरिडीह जिला के सभी थाना से प्राप्त कर पत्रांक-3188 / सा0शा0, दिनांक-10.08.2017 के द्वारा भेजी गई थी। जिसमें जमुआ/हिरोडीह/ तिसरी/ पीरटॉड / महिला / एस0सी0 / एस0टी0 थाना से अप्राप्त था जिसे प्राप्त कर छायाप्रति संलग्न कर भेजी जा रही है।
अनु0-यथोपरि।

[Handwritten Signature]
6.9.17
पुलिस अधीक्षक, गिरिडीह।

प्रतिलिपि: श्री सुशील कमबमपती, व्हाईट रण, कॉन्टेंट एण्ड सर्विसेस जेड के एन बी 6, डी एम-9-जे एच-6th फ्लोर, जे0एम0डी0 रिजेण्ट स्काॅयर एम जी रोड, गुडगाँव-122002 को सूचनार्थ प्रेषित, आपके द्वारा सूचना से संबंधित पूछे गये सूचना का उत्तर सामग्री इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजी जा रही है।

[Faint Stamp]
पुलिस अधीक्षक, गिरिडीह।



श्री श्री क का
पुलिस अधीक्षक महाराष्ट्र
गिरिडीह
गिरिडीह

DP No - 271/12
10/8/12

प्रसंग :- जनसूचना पदाधिकारी, पुलिस मुख्यालय झारखण्ड रांची का जापक - 426 / सू. दि. 05/07/17 ।


विषय :- सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत श्री सुशील कमबगपती के आवेदन के संबंध में
महाशय,

उपरोक्त प्रसंगाधिन विषय क के संबंध में सादर सूचित करना है कि सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत श्री सुशील कमबगपती तिसरी धाना से शून्य है ।

श्रीमान को सादर सूचनाथ प्रेषित ।

समानत
धाना प्रभारी
तिसरी धाना

10/8/12




आपके 28 / 17

महिला शाखा / SC / 37

दिनांक - 17/8/17

~~28/17~~
17/8/17



प्रति,
राजस्थान नवोद्योग कार्यालय का आपका 2761/रत्न
दिनांक 13/4/17

विषय:- श्री सुनील कुमार सिंह द्वारा भोगी जई सु
के सम्बन्ध में।

महोदय

इसके प्रलेख एवं विषय के माध्यम से
कना है कि इस आचार्य आवेदन श्री सुनील
कुमार सिंह के द्वारा भोगी जई सु
सम्बन्धी महिला, SC/37 शाखा से वर्ष 2015-16
बाद जमाई तक का लक्ष्य महिला नियम 17/2015
के तहत इन कार्यों का वितरण सुचारु है।

इसका श्रीमान का लक्ष्य सुचारु है।


निदेशिका

17/8/17

महिला शाखा

SC/37 शा

गिरिगिरी



पीरटांड थाना का, कार्यालय
दिनांक 17.08.2017

गिरिडीह।

प्रमाण:- भवदीय का कार्यID का ज्ञा0-2761/सा0शा0 वि0-13.07.17।

विषय:- सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्राप्त श्री सुशील कमबागपति के आवेदन के संबंध में।


महाराज

उपरोक्त प्रमाण एवं विषय के संदर्भ में सादर सूचित करना है सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्राप्त श्री सुशील कमबागपति के आवेदन के संबंध में मंगी गई वांछित विवरणी सभी विस्तृत पर पीरटांड थाना से शून्य है।

अतः श्रीमान् के सूचनार्थ प्रेषित।



विश्रासपाजं
श्री. श्री. श्री.
थाना प्रभारी
पीरटांड थाना।



प्रसंग:-भवदीय कार्यालय का ज्ञापक 2761/सा0शा0 दि0 13/07/17 एवं ज्ञापक 3066/सा0शा0 दि0 01/08/17.

विषय:-सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत श्री सुशील कमबमपती, व्हाइट एण, कॉन्टेंट एण्ड सर्विसेस, जेड के एन बी 6, डी एम-9, जे एच 6 फ्लोर, जे0एम0डी0 रिजेण्ट स्कॉयर एम जी रोड, गुडगाँव-122002 द्वारा मांगी गई सूचना का उत्तर सामग्री भेजने के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त प्रसंगाधीन विषयक सादर सूचित करना है कि सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत श्री सुशील कमबमपती, व्हाइट एण, कॉन्टेंट एण्ड सर्विसेस, जेड के एन बी 6, डी एम-9, जे एच 6 फ्लोर, जे0एम0डी0 रिजेण्ट स्कॉयर एम जी रोड, गुडगाँव-122002 द्वारा मांगी गई सूचना का उत्तर सामग्री निम्नवत है।

प्रश्न	उत्तर
1. Please provide a list of Police station in Jharkhand where the order pertaining to the reference amendment of section 77 of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act of 2015 has been issued. Please also provide a true copy of this order.	Not available in Jamua P.S.
2. Please provide a list of cases registered under Section 77 of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act of 2015 in Jharkhand between January 2015 and now	NIL

अतः श्रीमान् को सादर सूचनाएं प्रेषित।




विश्वनाथसाहू

थास, जमशेदपुर,
जमुना थाना।

DR-715/17

19/08/17



21- 690/17

27.8.17

पुलिस अचीवक महंदाय
गिरिडीह

पुलिस :- मध्यम कागलिय का प्रमाण - 27.61/सा.शा.
दिनांक - 13.7.17 एवं सा.शा - 3066/सा.शा.
दिनांक - 01-08.17

विषय :- सूचना अधिका (अधि 2005 के तहत श्री सुशील
कमलमपारी के द्वारा मांगी गई सूचना के
सम्बन्ध में)

महोदय,

उपर्युक्त पुलिस एवं विषय के सम्बन्ध में
सादर सूचित किया है कि सूचना अधिका (अधि
2005 के तहत श्री सुशील कमलमपारी के द्वारा
मांगी गई सूचना विद्युत दिये गए सन्निवृत्त
है।

1. please provide a list of police station in Jharkhand where the order pertaining to the reference amendment of section 77 of the juvenile (care and protection of children) Act of 2015 has been issued please also provide a true copy of this order. - पुलिस सन्निवृत्त
2. please provide a list of cases registered under section 77 of the juvenile justice (care and protection of children) Act, 2015 in Jharkhand between January 2015 and now. - सूचना

वृत्त सूचना प्रेषित ।

R. Kumar
27.8.17
पुलिस अचीवक
गिरिडीह